

न्यायालय अति.जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 328/2020 आवंटन निरस्त

- | | | |
|--|------|---|
| 1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार
माण्डलगढ जिला भीलवाडा | बनाम | 1. चुन्या पिता मोती रेगर निवासी माण्डलगढ
2. रतन पिता मोती रेगर निवासी माण्डलगढ
3. जमना पिता उदा रेगर निवासी माण्डलगढ
4. मथरा पिता उदा रेगर निवासी माण्डलगढ
5. देउ पुत्री उदा रेगर निवासी माण्डलगढ
6. सुगना पुत्री उदा रेगर निवासी माण्डलगढ
7. धन्नी बेवा उदा रेगर निवासी माण्डलगढ
तहसील माण्डलगढ |
|--|------|---|

—प्रार्थी

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

उपस्थित —

1. राजकीय अधिवक्ता — प्रार्थी की ओर से
2. विपक्षीगण संख्या 1, 3 से 7 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं — एक तरफा कार्यवाही



निर्णय

दिनांक 11/1/2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) विरुद्ध विपक्षी के प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम माण्डलगढ की आ.न. 1316/1211 रकबा 0.14 बीघा भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटि के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटि (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटि का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाडा में दिनांक 10.10.2019 को दायर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। जिला कलक्टर महोदय के आदेश क्रमांक 6641 दिनांक 30.06.2020 से पत्रावली इस न्यायालय में स्थानान्तरित


अति. जिला कलक्टर

करते हुये उभयपक्षकारान् को अपनी उपस्थिति न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाडा में दिनांक 13.07.2020 को देने हेतु सूचित किया गया। प्रार्थना पत्र दिनांक 01.07.2020 को इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि विपक्षी रतन पिता मोती रेगर के सम्मन की तामील में विपक्षी की मृत्यु होना अंकित किया है। इस प्रकार प्रार्थी तहसीलदार माण्डलगढ ने मृतक व्यक्ति के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) प्रस्तुत किया है, जो नियम विरुद्ध होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) खारिज किया जाता है।

तहसीलदार माण्डलगढ द्वारा विपक्षी रतन पिता मोती रेगर के कायम मुकाम रिपोर्ट मय सम्मन पेश नहीं किये गये। जबकि प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिनांक 10.10.2019 से ही पंजीबद्ध चला आ रहा है। प्रार्थी ने संशोधित प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है। प्रकरण में एक वर्ष व्यतीत होने पर भी प्रार्थी ने विधिवत प्रक्रिया नहीं अपनायी है, इस प्रकार तहसीलदार माण्डलगढ ने न्यायालय का श्रम व समय अनावश्यक जाया किया है। प्रार्थी तहसीलदार माण्डलगढने मृतक के विरुद्ध 14(4) का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नियम विरुद्ध कृत्य किया है। शेष विपक्षी बावजूद सम्मन तामील के उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। अतः तत्कालीन तहसीलदार माण्डलगढ एवं पटवार हल्का माण्डलगढ तहसील माण्डलगढ का उत्तरदायित्व निर्धारण किया जाना अपेक्षित है। निर्णय की प्रति जिला कलक्टर महोदय (स्थापना) एवं जिला कलक्टर महोदय (विधि) तथा तहसीलदार माण्डलगढ को प्रेषित की जावे। तहसीलदार माण्डलगढ सम्पूर्ण एवं विधिवत प्रक्रिया अपनाकर पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु स्वतंत्र हैं।

निर्णय आज दिनांक 11-1-2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राकेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा